राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(कैट)अकाद/निकाशि/2013/289 दिनांकः 14 अक्टूबर, 2013

समस्त प्राचार्य,
कैट कोर्स से संबंधित राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः कैट कोर्स के संबंध में दिशा–निर्देश दिये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कैट कोर्स के संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें :–

1. ICAI द्वारा प्रति छात्र महाविद्यालय को लौटायी जा रही फीस राशि (5,300/–) में से फैकल्टी को (जो भी राशि उपलब्ध हो सके) एवं अधिकतम रूपये 400/– प्रति घण्टा दिया जाना है। यह सामान्य कार्य घण्टों के अलावा शिक्षण होने पर देय है। राज्य सरकार/महाविद्यालय पर उक्त भुगतान से कोई दायित्व नहीं आना चाहिए।

2. फैकल्टी को भुगतान करने के पश्चात् शेष रही राशि को कैट कोर्स के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जुटाने के प्रयोग में लिया जा सकता है।

3. महाविद्यालय के अन्य किसी भी अधिकारी (प्राचार्य/उपाचार्य/नोडल अधिकारी) को इस कोर्स के संचालन हेतु कोई मानदेय देय नहीं है।

4. महाविद्यालय को ICAI द्वारा लौटायी गई राशि के उपयोग का समय–समय पर ICAI अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा।

5. राज्य सरकार के वित्त एवं लेखा नियमों का पालन किया जायेगा।

भवदीय,

(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांकः एफ 7(कैट)अकाद/निकाशि/2013/289 दिनांकः 14 अक्टूबर, 2013

प्रतिलिपिः डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया पत्र को निदेशालय की बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

(डॉ0 राजेश शुक्ला)
संयुक्त निदेशक

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(कैट)अकाद/निकाशि/2013/290 दिनांकः 14 अक्टूबर, 2013

समस्त प्राचार्य,
कैट कोर्स से संबंधित राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः कैट कोर्स हेतु ICAI द्वारा प्रति छात्र लौटायी गई फीस राशि को पी.डी. खाते में जमा कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि कैट कोर्स हेतु ICAI द्वारा प्रति छात्र फीस की जो राशि Share (शेयर) के रूप में लौटायी जा रही है, उसे पी.डी. खाते में डाला जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

मुख्य लेखाधिकारी,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(कैट)अकाद/निकाशि/2013/290 दिनांकः 14 अक्टूबर, 2013

प्रतिलिपिः डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया पत्र को निदेशालय की बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

मुख्य लेखाधिकारी,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर